उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-79/2020/1089/92-2-2020-24एम/2019,

लखनऊ :: दिनांक:: 30 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र में निर्माण कार्यों का भुगतान रोके जाने एवं विभागीय अधिकारी के रूप मे प्रखण्डीय कार्यालय सोनभद्र का वातावरण अनुकूल न रखने व निर्माण कार्यों के सुचारू रूप से संपादित न कराये जाने, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-22 में सरकारी कर्मचारी को एक सीमा से अधिक उधार देना और उधार लेना जो कि प्रतिबंधित है के लिए ठेकेदार श्री आलोक सिंह से 3.00 लाख रूपये उधार लेने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1440/92-2-2019-24एम/2019, दिनांक 05.07.2019 द्वारा श्री राजितराम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र सम्प्रति प्रखण्ड झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1821/92-2-2019-24एम/2019, दिनांक 05.08.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री राजितराम के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 06.09.2019 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2020 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री राजितराम के विरूद्ध अधिरोपित कुल-01 आरोप को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-1 के द्वितीय भाग कि वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रखण्डीय कार्यालय का वातावरण अनुकूल न रखने हेतु आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 30.01.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी श्री राजितराम का अभ्यावेदन विषयक पत्र दिनांक 27.02.2020 शासन मे दिनांक 04.06.2020 को प्राप्त हुआ।

3- अपचारी अधिकारी श्री राजितराम के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध मे प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के द्वितीय भाग कि-वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रखण्डीय कार्यालय का वातावरण अनुकूल श्री राजितराम द्वारा नही रखा गया है का आरोप अपचारी अधिकारी पर प्रमाणित नहीं होता है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1440/92-2-2019-24एम(जांच)/2019, दिनांक 05.07.2019 द्वारा श्री राजितराम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र सम्प्रति प्रखण्ड झांसी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-79/2020/1089(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल गोरखपुर।

3- श्री रजितराम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र सम्प्रति प्रखण्ड झांसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanad sh.u .nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।